

सेविका-सहायिका का होगा बीमा

संवाददाता ■ पटना

सूबे के सेविका व सहायिकाओं का अब बीमा कराया जायेगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. बीमा का प्रीमियम सरकार भरेगी. सेविका व सहायिकाओं को सिर्फ अपने से संबंधित सीडीपीओ के यहां आवेदन देना होगा. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दीवान जाफ़र हुसैन खां ने बताया कि पटना जिले में चार हजार सेविकाएं व चार हजार सहायिकाएं हैं. इनकी बीमा के प्रीमियम की किस्त जमा करने के लिए सरकार ने मार्च, 2013 तक का पैसा दे दिया है. अब सेविकाओं व सहायिकाओं को प्राकृतिक मृत्यु पर 30 हजार, अप्राकृतिक मौत पर 75 हजार, दुर्घटना के बाद अपंग होने पर 75 हजार, आंशिक रूप से अपंग होने पर 37 हजार और गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर 20 हजार रुपये दिये जायेंगे.

पोशाक के लिए भी पैसा

उन्होंने बताया कि सेविका और सहायिका को नया पोशाक खरीदने के लिए भी पैसा दिया जायेगा. सरकार की ओर से राशि मिल गयी है. प्रत्येक सहायिका-सेविका को हर वर्ष दो साड़ी की खरीद के लिए प्रति साड़ी दो-दो सौ

- ▶ प्राकृतिक मृत्यु पर 30 व अप्राकृतिक मौत पर 75000 मिलेंगे
- ▶ दुर्घटना के बाद अपंग होने पर 75000 व आंशिक रूप से अपंग होने पर 37000 मिलेंगे
- ▶ गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर मिलेगा 20 हजार मिलेंगे

रुपये दिये जायेंगे. सेविका को हरे रंग की और सहायिका को मैरून रंग की साड़ी खरीदनी होगी. दोनों की साड़ी का बॉर्डर बॉटल ग्रीन होगा. इस संबंध में मंगलवार को सभी सीडीपीओ की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में हुई. उन्हें इस माह के अंत तक हर केंद्र से 40 शिशुओं को कन्या सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य दिया गया.

राज्य की सभी आंगनबाड़ी

सेविकाओं और सहायिकाओं को बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं.

परवीन अमानुल्लाह, समाज कल्याण मंत्री

